

कलमा देवी - दण्डा 72/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
4.12.25	<p>पत्रावली पेश। दलील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी दिवस से पूर्व जामील से शेष रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा अमानती सि. पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौरन सुधार होकर नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमिल दाखिल दफतर हो।</p> 	